भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1852**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी उर्वरक का उत्पादन

1852. श्री राधाकृष्ण:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि फॉस्फोरिक एसिड की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने देश में डीएपी उर्वरक के उत्पादन और आपूर्ति को प्रभावित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) बढ़ी हुई लागत के कारण वर्ष 2024-25 के दौरान डीएपी उर्वरक के उत्पादन में कमी का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(घ) क्या सरकार किसानों को उर्वरकों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीएपी के विनिर्माण हेतु राजसहायता राशि में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और
(ड.) यदि हां, तो राजसहायता में इस वृद्धि को लागू करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा और उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : पिछले 3 वर्षों के लिए फॉस्फोरिक एसिड के लिए भारत सीएफआर (लागत और भाड़ा दरें) की प्रवृत्ति (अमरीकी डालर/मीट्रिक टन में) निम्नानुसार है:

जुलाई-21	**अगस्त-21**	**सितंबर-21**	**अक्टूबर-21**	**नवंबर-21**	**दिसम्बर-21**	**जनवरी-22**	**फ़रवरी-22**	**मार्च-22**
1128	1160	1160	1160	1330	1330	1330	1330	1530
अप्रैल-22	**मई-22**	**जून-22**	**जुलाई-22**	**अगस्त-22**	**सितंबर-22**	**अक्टूबर-22**	**नवंबर-22**	**दिसम्बर-22**
1530	1530	1530	1715	1715	1715	1310	1175	1175
जनवरी-23	**फ़रवरी-23**	**मार्च-23**	**अप्रैल-23**	**मई -23**	**जून -23**	**जुलाई-23**	**अगस्त-23**	**सितंबर-23**
1175	1050	1050	1050	990	970	970	874	951.3
अक्टूबर-23	**नवंबर-23**	**दिसम्बर-23**	**जनवरी-24**	**फ़रवरी-24**	**मार्च-24**	**अप्रैल-24**	**मई -24**	**जून -24**
985	985	985	985	971.4	968	963	948	948

यह देखा जा सकता है कि फॉस्फोरिक एसिड के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अस्थिर रहे हैं। पीएंडके उर्वरकों (डीएपी, टीएसपी, मिश्रित और अमोनियम सल्फेट सहित) का उत्पादन 143.91 एलएमटी (2022-23), 144.82 एलएमटी (2023-24) और 36.5 एलएमटी (2024-25-30.06.2024 तक) है।

(ग) से (ड.): पीएण्डके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल हैं, अत: कंपनियां पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन और आयात बाजार के उतार-चढ़ाव के आधार पर करती हैं।

इसके अलावा, सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों में देश को आत्मनिर्भर बनाने और डीएपी सहित उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) सरकार ने 1.4.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना लागू की है। इस एनबीएस योजना के अंतर्गत, सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर डीएपी सहित उनमें निहित पोषक-तत्व के अनुसार वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक तय राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों द्वारा एमआरपी निर्धारण बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उचित स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार, पीएण्डके उर्वरक सेक्टर एनबीएस योजना के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त उर्वरक सेक्टर है और कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए पहल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ii) जब कभी उर्वरक की मांग और उत्पादन के बीच अंतर होता है तो उसे उर्वरकों के आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

(iii) प्राप्त अनुरोधों की जांच के आधार पर उर्वरक कंपनियों को उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति दी जाती है जो एनबीएस के तहत हैं और उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस के तहत डीएपी सहित नई पीएंडके कंपनियों और उनके उर्वरक उत्पादों को शामिल करने के लिए अनुमति दी जाती है।

(iv) किसानों को वहनीय मूल्यों पर डीएपी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज उपलब्ध कराए हैं। हाल ही में, 2024-25 में, भू-राजनीतिक स्थिति के कारण, उर्वरक कंपनियों द्वारा डीएपी की खरीद की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने के कारण, सरकार ने किसानों को वहनीय मूल्यों पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीएंडके उर्वरक कंपनियों को 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री @ 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर एनबीएस दरों के अलावा डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।

****